



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण 1941 (श०)

(सं० पटना 1322) पटना, बुधवार, 4 दिसम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना  
4 दिसम्बर 2019

सं० 02/शमन-07(A)/2015, परि०-8932—अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपित— मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा—200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्या—7829, दिनांक—23.10.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपित— मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विर्णिदिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना के पत्रांक—2301, दिनांक—25.10.2019 द्वारा किये गये अधियाचना के आलोक में पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून पदाधिकारियों को इस विभाग की अधिसूचना संख्या—7829, दिनांक—23.10.2019 दिये गये शमन की शक्ति के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम (यथा संशोधित), 1988 की धारा—201 के अन्तर्गत विर्णिदिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

2. शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
3. यह अधिसूचना, बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सचिव,  
परिवहन विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1322-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>